राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/2/2011 जयपुर, दिनांक : 30.12.2011

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदस्थापित स्थान	जिला	नवीन पदस्थापन स्थान
1	DR HANSRAJ SAMARIA	JS MED	KNTBDC	AJMER	AJMER	DH BANSWARA
2	DR SHARAT MATHUR	JS SUR	D.HOSP	AJMER	AJMER	A K HOSPITAL BEAWAR, AJMER
3	DR JUGAL KISHORE RANGA	MO	D.HOSP	AJMER	AJMER	CHC BHINAI, AJMER
4	DR MANOHAR GURNANI	SS PAED	D.HOSP	BEAWER	AJMER	DH NAGOUR
5	DR MANOHAR SINGH CHANDAWAT	JS PAED	D.HOSP	BEAWER	AJMER	DH TONK
6	DR MUKESH CHAND MEENA	MO	CHC	JAWAJA	AJMER	CHC JAWAJA, AJMER
7	DR HEMLATA MAHESHWARI	JS GYNAE	CHC	KEKRI	AJMER	CHC BNINAI, AJMER
8	DR HARISH CHAND LAMORIA	JS PAED	SDH	KISHAN GARH	AJMER	CHC BHINAI, AJMER
9	DR RAJENDRA PAL ARORA	JS MED	SDH	KISHAN GARH	AJMER	CHC SARWAR, AJMER
10	DR HEMANT ARORA	JS MED	CDISP	RAMGANJ	AJMER	DH JALORE
11	DR ARVIND KUMAR UDAY	RMO	CHC	SARWAR	AJMER	CHC SARWAR, AJMER

विषयः– कारण बताओं नोटिस।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक स्थानान्तरण आदेश दिनांक 26.12.2011 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कर आपको निर्देश प्रदान किए गए थे कि आप अपने आप को कार्यमुक्त समझते हुए अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 28.12.2011 तक कार्यग्रहण कर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशक, जन स्वास्थ्य एवं इस विभाग को प्रेषित करावें, किन्तु आपने दिनांक 29.12.2011 तक अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है।

अतः निर्देशानुसार आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर आदेशित किया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण दिनांक 02.01.2012 तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध सी. सी. ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. **संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, को भेजकर लेख है कि संबंधित चिकित्सकों को कारण बताओं नोटिस आज ही तामील कराकर इस विभाग को अवगत करावें।**
5. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेव साईड एवं सभी संबंधित को ई–मेल तुरन्त करावें।

शासन उप सचिव